भारत सरकार
(जनजाति के कार्य मंत्रालय)
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *305
उत्तर देने की तारीख 15.07.2019

अनुसूचित जनजातियों के नाम में असमानता

***305. श्री अरूण सावः**

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की सूची में दर्ज अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के नामों में कतिपय असमानताएं पाई हैं;
(ख) क्या छत्तीसगढ़ में ऐसी असमानताओं के कारण बंजारा, नायक, महरा, पाथरी, धानुहेर, भुइया, भुइयां, भुयान, भुय्या तथा भियान, धीमर, केवट, कहार और मल्लाह, नगवाशी तथा अपने नामों में ध्वन्यात्मक अंतर वाली अन्य जनजातियां, जैसे कि खेरवाल, पंडो, भेराई तंवर चतरी, पारगनिहा, प्रधान इत्यादि जनजातियों को मात्र वर्तनी और ध्वन्यात्मक भिन्नता के कारण अनुसूचित जनजातियों के लाभों से वंचित किया जाता है;
(ग) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार को विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान प्राप्त ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा उक्त असमानताओं को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य मंत्री
(श्री अर्जुन मुंडा)

(क) से **(ङ):** विवरण सदन के सभा-पटल पर रख दिया गया है।

"अनुसूचित जनजातियों के नाम में असमानता" के संबंध में दिनांक 15.07.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *305 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क), (ख) तथा (ड.) : भारत सरकार ने दिनांक 15.06.1999 को (दिनांक 25.06.2002 को पुन: संशोधित) अनुसूचित जनजातियों की सूची निर्दिष्ट करने के आदेशों में समावेशन, से अपवर्जन हेतु दावे निर्धारित करने तथा अन्य संशोधनों के लिए प्रविधियां निर्धारित की हैं। इन प्रविधियों के अनुसार, केवल उन प्रस्तावों पर विधान के संशोधन के लिए विचार किया जाता है जिसे राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा न्यायोचित माना जाता है एवं इसकी सिफारिश की जाती है तथा जिस पर भारत के महापंजीयक (आरजीआई) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा सहमति प्राप्त हो। अनुसूचित जनजातियों की सूची निर्दिष्ट करने के आदेशों में समावेशन, से अपवर्जन और अन्य संशोधनों के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर वर्तमान प्रविधियों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ) : विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (2017-2019) में अनुसूचित जनजातियों की सूची में समुदायों के समावेशन के लिए छत्तीसगढ़ सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्राप्त प्रस्तावों को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक-I** पर है।

*****

अनुलग्नक-I

अनुसूचित जनजातियों की सूची में विभिन्न समुदायों को शामिल करने के लिए प्राप्त तथा प्रक्रियाधीन प्रस्तावों की संख्या के संबंध में ब्यौरे

30.06.2019 तक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	प्रस्तावों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	2
3	असम	4
4.	बिहार	3
5.	छत्तीसगढ़	28
6	गोवा	1
7.	हिमाचल प्रदेश	1
8	जम्मू और कश्मीर	2
9.	झारखंड	10
10.	कर्नाटक	9
11.	केरल	3
12.	मध्य प्रदेश	8
13	मणिपुर	1
14.	ओडिशा	21
15.	पंजाब	1
16.	सिक्किम	1
17.	तमिलनाडु	8
18	त्रिपुरा	1
19.	उत्तराखंड	1
20.	उत्तर प्रदेश	3
21.	पश्चिम बंगाल	3
22.	पुद्दुचेरी	1

*****